



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]
No. 285]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2010/वैशाख 31, 1932
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 2010/VAISAKHA 31, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

सा.का.नि. 443(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 267(अ), तारीख 30 मार्च, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 30 मार्च, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त अधिसूचना की प्रति 30 मार्च, 2010 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 में,—

(अ) उप-नियम (14) में,—

(क) खंड च में, "1 अप्रैल, 2010 से विनिर्मित दुपहिए और तिपहिए यान के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-III) इस प्रकार होंगे" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) (i) उप-खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-III) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद शहर जिसमें सिकन्दराबाद भी है, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, शोलापुर और लखनऊ को 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित दो और तिपहिए वाहनों के संबंध में लागू होंगे।"

(ii) उप-खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम III), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद जिसमें सिकन्दराबाद भी है, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, शोलापुर और लखनऊ को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1 अक्टूबर, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित दुपहिए और तिपहिए वाहनों के संबंध में लागू होंगे।

(iii) दुपहिए और तिपहिए यानों के द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम III) निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

